न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 09 / 2020

1 खैरूनिशा उम्र 56 साल पत्नी अकबर अली पुत्री स्व. अबदुला जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 1 मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 फातमा पत्नी मो. यासीन कुरेशी जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 16 कस्बा चुरू तहसील व जिला चुरू राज.।
2 मो. उमर पुत्र स्व. अब्दुला जाति व्यापारी मुसलमान निवासी बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
3 बानो उर्फ नूर बानो पत्नी उस्मान गन्नी जाति व्यापारी मुसलमान निवासी नई सड़क चुरू तहसील चुरू जिला चुरू राज.।
4 खालीद पुत्री स्व. कुलसम व स्व. अ. लतीफ उम्र 36 साल जाति व्यापारी निवासी वार्ड नम्बर 1 मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
5 शबाना बानो उम्र 34 साल पुत्री स्व. कुलसम व स्व. अ. लतीफ जाति व्यापारी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
6 खालीदा बानो उम्र 32 साल पुत्री स्व. कुलसम व अ. लतीफ जाति व्यापारी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
7 वसीम अकरम उम्र 30 साल पुत्र स्व. कुलसम व स्व. अ. लतीफ जाति व्यापारी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
8 शौयब उम्र 25 साल पुत्र स्व. कुलसम व स्व. अ. लतीफ जाति व्यापारी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
9 फिरोज उम्र 20 साल पुत्र स्व. कुलसम व अ. लतीफ जाति व्यापारी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (जिला झुन्झुनूं)

10 अदनान उम्र 18 साल पुत्र स्व. कुलसम व अ. लतीफ जाति व्यापारी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
11 अख्तर हुसैन पुत्र मो. यासीन कुरेशी जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 16 चुरू तहसील व जिला चुरू।
12 उप पंजीयक बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
13 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अ.धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 27.01.2020 बअदालत उपखण्ड अधिकारी मलसीसर मुकदमा उनवानी खैरूनिशा बनाम फातमा वगै. मुकदमा नम्बर 04/2018 प्रार्थना पत्र अ.निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नफीस अहमद खान, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट.

—निर्णय—

दिनांकः— 19.11.24

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 04/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन गत खसरा नम्बर 28/2 तादादी 3 बीघा 16 बिश्वा सरहद राजस्व ग्राम/कस्बा बिसाऊ में स्थित है। उक्त जमीन के हाल खसरा नम्बर 50 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 220/2077 रकबा 0.70 हैक्टेयर है। अपीलान्ट उक्त जमीन के बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र बाबत घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसके साथ अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। जिस प्रार्थना पत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.01.2020 को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित जमीन का पहले खातेदार का पिता अब्दुला पुत्र नुर मोहम्मद था। अपीलान्ट के पिता अब्दुला के एक पुत्र मोहम्मद उमर पैदा हुआ तथा अपीलान्ट सहित 4 पुत्रियां फातमा, कलसुम एवं बानो पैदा हुई। अब्दुला के देहान्त होने के बाद विवादित जमीन उत्तराधिकार में अपीलान्ट एवं उसकी तीन बहीन व भाई मो. उमर को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई। इस प्रकार विवादित जमीन में अपीलान्ट का 1/5 हक हिस्सा हुआ एवं अपीलान्ट इसी प्रकार से संयुक्त रूप से आपने हक हिस्से पर काबिज काश्त है। अब्दुला के देहान्त होने के बाद उक्त जमीन मो. उमर ने गलत रूप से अपने नाम दर्ज करवाकर गलत रिकार्ड के आधार पर अपीलान्ट को उसके हकुक से वंचित करने के लिये दिनांक 19.04.1999 को गलत रूप से दान पत्र करवा लिया जो अपीलान्ट के हकुकों पर शुन्य है। बाद में उक्त जमीन का फातमा व उमर ने मिलकर गलत रूप से विभाजन करवा लिया। बाद में पुनः गलत रूप से दान पत्र सन 2016 में रेस्पोडेन्ट नम्बर 11 अख्तर हुसैन के नाम करवा दिया। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में आदेश 39 नियम 1 व 2 जा.दी. के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की।

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

विचाराधीन निर्णय में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के नियमों की अलग अलग निर्णय पारित नहीं किया। कानून से उपरोक्त सभी बिन्दुओं की अलग अलग पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित करना चाहिये। अपीलान्ट अपने पिता अब्दुला की पुत्री है। विवादित जमीन में अपीलान्ट का 1/5 हक हिस्सा है एवं काबिज काश्त है। अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला है। विचाराधीन निणर्य तर्क एवं निष्कर्ष सहित पारित नहीं किया। विचाराधीन निर्णय स्पष्ट नहीं है। विचाराधीन निर्णय गलत रूप से फर्द अहकाम पर लिखा गया है। इस प्रकार विचाराधीन निर्णय खारिज होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि की खातेदारी अब्दुला के नाम थी प्रार्थी अपीलांट अब्दुला की पुत्री है। अब्दुला के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 998 दिनांक 15.03.1996 को मोहम्मद उमर के नाम दर्ज किया गया है। मुस्लिम विधि के अनुसार अब्दुला ने अपने जीवनकाल में विवादित भूमि अनावेदिका संख्या 1 को मौखिक हिब्बा (दान) कर दी थी। मोहम्मद उमर को इस मौखिक हिब्बा की जानकारी थी। जिसकी आधार पर मोहम्मद उमर ने इस भूमि का रजिस्टर्ड दान पत्र अनावेदिका संख्या 1 फातमा के नाम दिनांक 19.04.1999 को निष्पादित करवा दिया। प्रार्थिया अपीलांट का विवादित भूमि में हक हिस्सा नहीं है। दावें में प्रार्थी अपीलांट के हक तय होने है। इससे पूर्व प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिक
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

की खातेदारी अब्दुला के नाम थी प्रार्थी अपीलांट अब्दुला की पुत्री है। अब्दुला के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 998 दिनांक 15.03.1996 को मोहम्मद उमर के नाम दर्ज किया गया है। मुस्लिम विधि के अनुसार अब्दुला ने अपने जीवनकाल में विवादित भूमि अनावेदिका संख्या 1 को मौखिक हिब्बा (दान) कर दी थी। मोहम्मद उमर को इस मौखिक हिब्बा की जानकारी थी। जिसकी आधार पर मोहम्मद उमर ने इस भूमि का रजिस्टर्ड दान पत्र अनावेदिका संख्या 1 फातमा के नाम दिनांक 19.04.1999 को निष्पादित करवा दिया। प्रार्थिया अपीलांट का विवादित भूमि में हक हिस्सा नहीं है। दावें में प्रार्थी अपीलांट के हक तय होने है। इससे पूर्व प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर